

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 4(33)पंरावि/सशक्त/मानचित्र/2011/75


जयपुर दिनांक 3 <sup>11</sup>/<sub>2011</sub>

प्रमुख शासन सचिव,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/  
प्रारंभिक शिक्षा विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।  
कृषि विभाग ।

विषय: पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित पाँच विभागों के अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गतिविधि मानचित्रण (Activity Mapping) के निर्धारण के संबंध में ।

संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने के संदर्भ में प्रथम चरण में हस्तान्तरित किये गये 5 विभागों यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं कृषि विभाग से संबंधित जिला स्तर तक की गतिविधियाँ मय स्टाफ एवं बजट के संदर्भ में विस्तृत आदेश प्रसारित किये गये हैं इन्हीं आदेशों की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने की दृष्टि से गतिविधि मानचित्रण (Activity Mapping) तैयार किया गया है, जो संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित निर्देश प्रसारित करने की व्यवस्था करावें एवं संबंधित विभागाध्यक्षों एवं हस्तान्तरित स्टाफ को तदनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करें।

संलग्न: गतिविधि मानचित्रण।


  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि: -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर निवेदन है कि गतिविधि मानचित्रण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें एवं इसकी प्रतियाँ हस्तान्तरित विभागों के जिला/खण्ड स्तरीय कार्यालयों में भी भिजवाते हुए तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1. प्रमुख, जिला परिषद समस्त ।
2. जिला कलक्टर, समस्त ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त ।

  
परियोजना निदेशक एवं  
पदेन उप सचिव (एस.ए.पी)

**DEVOLUTION OF POWERS AND FUNCTIONS TO PRIs**  
**ACTIVITY MAPPING**

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित  
गतिविधियाँ एवं अधिकारों का  
गतिविधि मानचित्रण

**RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ**  
**DEPARTMENT, RAJASTHAN**

# विषय सूची

क्रम संख्या	विभाग	पृष्ठ संख्या
1.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	3-9
2.	महिला बाल विकास विभाग	10-13
3.	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	14-28
4.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	29-32
5.	कृषि विभाग	33-35

# चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

(आज्ञा क्रमांक प.17(17)चिस्वा/2/2010 जयपुर दिनांक 2.10.2010 एवं राजस्थान पंचायती राज  
(अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के अनुसार)

गतिविधि	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	नोडल विभाग
चिकित्सा संस्थाएं एवं स्टाफ का नियन्त्रण	<p>उप-स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत ए.एन.एम,जी.एन.एम., पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपना कार्य ग्राम पंचायत के अधीन करेंगे</p> <p>आशा सहयोगिनी का चयन नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा से सरपंच या ग्राम पंचायत की सामाजिक अधिकारिता की</p>	<p>ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं ब्लाक स्तर पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी पंचायत समिति के अधीन कार्य सम्पादित करेंगे।</p> <p>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सभी उप केंद्र, एडपोस्ट, अपग्रेडेड सब सेंटर, एवं प्राथमिक</p>	<p>जिला स्तरीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) /उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य)/ जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/ जिला क्षय रोग अधिकारी एवं उनके कार्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को जिला परिषद के अधीन</p>	<p>विभाग के समस्त कर्मचारियों पर तकनीकी नियन्त्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का रहेगा</p>

	<p>स्थायी समिति के अध्यक्ष ग्राम सेवक के साथ मिलकर उप-स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेंगे व जो कर्मचारी अनुपस्थित मिलें उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव पंचायत समिति / जिला परिषद को भेजेंगे</p>	<p>स्वास्थ्य केंद्र मय स्टाफ पंचायत समिति के अधीन कार्य करेंगे। उनकी उपस्थिति, छुट्टी और दौरे विकास अधिकारी द्वारा मंजूर और नियन्त्रित किए जाएंगे।</p>	<p>कार्य करेंगे। उनकी उपस्थिति, छुट्टी और दौरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मंजूर और नियन्त्रित किए जाएंगे।</p>	
	<p>ए.एन.एम. का भ्रमण कार्यक्रम व आकस्मिक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार सरपंच ग्राम पंचायत को होगा</p>	<p>पंचायत समिति के प्रधान या सामाजिक अधिकारिता स्थायी समिति के अध्यक्ष किसी अधिकृत अधिकारी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे एवं जो कमियां पाई जावें, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश / सुझाव अधिकारियों /</p>	<p>सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना</p> <p>समस्त जिला स्तरीय अधिकारी वार्षिक योजनाएं तैयार कर जिला परिषद से अनुमोदित कराने के बाद ही राज्य सरकार को भेजेगें।</p>	

		विभाग को प्रेषित करेंगे।		
	कार्य के प्रति उदासीन या कार्य से अनुपस्थित या उनके कार्यस्थल पर निवास नहीं करने वाले ए.एन.एम जी.एन.एम. पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के खिलाफ ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अनुशंसा भेजेगी जो नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी वार्षिक बजट, वार्षिक योजना एवं वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार कर पंचायत समिति से अनुमोदित कराने के बाद ही उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजेंगे।	जिला परिषद / जिला परिषद के प्रमुख या सामाजिक अधिकारिता स्थायी समिति के अध्यक्ष किसी अधिकृत अधिकारी के साथ उनके क्षेत्राधिकार के कार्यालय / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे एवं जो कमियां पाई जावें, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश / सुझाव अधिकारियां / विभाग को प्रेषित कर सकेंगे।	
	उप केंद्रों के कार्यकर्ता वार्षिक योजनाएं तैयार कर ग्राम पंचायतों से अनुमोदित कराने के बाद ही खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।	पंचायत समिति क्षेत्र में नवीन चिकित्सा संस्थान खोलने के प्रस्ताव पंचायत समिति से अनुमोदन कराने के बाद ही जिला मुख्यालय को प्रेषित किए जा सकेंगे	जिले में नवीन चिकित्सा संस्थान खोलने के प्रस्ताव जिला परिषद से अनुमोदन कराने के बाद ही राज्य सरकार को भेजेंगे।	

	<p>चिकित्सा संस्थानों के लिए उपयुक्त भूमि का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। भूमि चयन के समय यह देखा जाना चाहिए कि उस क्षेत्र के निवासी सुगमता से वहां पहुंच सकें तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस भवन में सुरक्षित रूप से रह सकें।</p>	<p>चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन पंचायत समिति की अनुशंसा पर होगा। भूमि चयन के समय यह देखा जाना चाहिए कि उस क्षेत्र के निवासी सुगमता से वहां पहुंच सकें तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो।</p>	<p>सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना</p>	
	<p>विभाग द्वारा लागू कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कराने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत एवं सरपंच की होगी।</p>		<p>सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण सम्बन्धित गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण।</p>	
			<p>विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना</p>	
			<p>विभाग द्वारा सभी विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन समस्त लेखा, बजट, आय व्यय एवं अंकेक्षण।</p>	
			<p>प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन</p>	



			चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित धाराओं, अधिनियम एवं नियमों के अध्यक्षीन कार्यों का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	
हस्तान्तरित कार्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रसव पूर्व जांच एवं सेवाएं</li> <li>● प्रसव सेवाएं</li> <li>● प्रसवोत्तर सेवाएं</li> </ul> </li> <li>2. टीकाकरण सेवाएं</li> <li>3. परिवार कल्याण सेवाएं</li> <li>4. सामान्य जांचें जैसे खून पेशाब आदि</li> <li>5. ग्राम पंचायत स्तर पर सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन</li> <li>6. मौसमी बीमारियों एवं मलेरिया का बचाव, नियन्त्रण एवं बचाव की</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं</li> <li>2. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं</li> <li>3. गर्भवती महिलाओं की जांच एवं प्रसव सेवाएं</li> <li>4. परिवार कल्याण सेवाएं</li> <li>5. क्षेत्र विशेष में मौसमी बीमारियों के बचाव, नियन्त्रण एवं बचाव की सेवाएं</li> <li>6. सूचनाओं का संग्रहण, संकलन एवं सम्प्रेषण</li> <li>7. स्वास्थ्य शिक्षा</li> <li>8. सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों</li> </ol>		

	<p>सेवाएं</p> <p>7. जल शुद्धिकरण सेवाएं</p> <p>8. आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी के साथ सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन</p> <p>9. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सम्पादित की जा रही गतिविधियों का क्रियान्वयन</p> <p>10. ग्राम स्वास्थ्य समिति की गतिविधियों का सम्पादन</p> <p>11. अन-टाईड फण्ड का नियमानुसार समुचित उपयोग</p> <p>12. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण</p> <p>13. ग्रामीणों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए स्वास्थ्य शिक्षा</p>	<p>की गतिविधियों का सम्पादन</p> <p>9. रेफरल सेवाएं</p> <p>10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों का संचालन</p> <p>11. मूलभूत जांच सेवाएं</p> <p>12. स्थानीय दाई, आशा एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रशिक्षण</p>		
अनुशासनात्मक कार्यवाही			जिला परिषद की जिला स्थापना समिति पंचायती	

			<p>राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां आरोपित कर सकेगी।</p>	
स्थानान्तरण		<p>पंचायत समिति के भीतर पंचायत समिति की प्रशासन और संस्थापन स्थायी समिति के द्वारा</p>	<p>एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जिला परिषद की प्रशासन और संस्थापन स्थायी समिति के द्वारा</p>	<p>एक जिले से दूसरे जिले में पंचायती राज विभाग की सहमति से पैतृक विभाग के द्वारा</p>

# महिला एवं बाल विकास विभाग

(आज्ञा क्रमांक एफ.11(3)33/मो/मबावि/2000/71981 जयपुर दिनांक 2.10.2010 एवं राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के अनुसार)

गतिविधि	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	नोडल विभाग
संस्थाएं एवं स्टाफ का नियन्त्रण	आंगनवाडी केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जावेगा	बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षक अपना समस्त कार्य पंचायत समिति के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में सम्पन्न करेंगे	बाल विकास परियोजना अधिकारी का नियन्त्रण उप-निदेशक महिला एवं बाल विकास के माध्यम से जिला परिषद के पास रहेगा। महिला बाल विकास प्राधिकरण जिला परिषद में समाहित होगा।	महिला एवं बाल विकास विभाग का तकनीकी मार्गदर्शन
	आंगनवाडी कार्यकर्ता/ सहायिका/ साथिन का चयन ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जावेगा		उप निदेशक तथा कार्यक्रम अधिकारी मय अभिकरण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग स्टाफ के जिला परिषद के अधीन।	
	आंगनवाडी केंद्रों में वितरण	पोषाहार के भण्डारण का		

	के लिए पोषाहार के भण्डारण का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया जावेगा।	कार्य परियोजना स्तर पर कार्य बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पंचायत समिति के नियन्त्रण में किया जावेगा		
		प्रचेता द्वारा अपना कार्य कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में पंचायत समिति के अधीन रहते हुए सम्पन्न किया जावेगा		
<b>विभागीय कार्यकलाप</b>	1. आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी का चयन			
	2. आंगनवाडी केंद्र हेतु भवन का चयन तथा केन्द्रों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण			
	3. आंगनवाडी केंद्र पर प्रदत्त की जाने वाली 6 सेवाओं क्रमशः पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा,	आंगनवाडी केंद्र पर प्रदत्त की जाने वाली 6 सेवाओं का पर्यवेक्षण		

	टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रैफरल सेवा का संचालन			
	4. पूरक पोषाहार भण्डारण			
	5. कुपोषण निवारण हेतु कार्यक्रमों का संचालन	कुपोषण निवारण हेतु कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण		
	6. मातृ शिशु, स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन	घरेलू हिंसा, बाल विवाह की रोकथाम हेतु आवश्यक गतिविधियों का संचालन		
	7. किशोरी बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण	किशोरी बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम का पर्यवेक्षण		
	8. महिला अधिकारिता कार्यक्रमों का संचालन एवं पर्यवेक्षण			
	9. महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन	महिला स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज		
		महिला अधिकारिता कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण	महिला अधिकारिता कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण	
		महिला अधिकारिता परियोजना का संचालन	जिला स्तर पर सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन	

		एवं पर्यवेक्षण	एवं पर्यवेक्षण	
अनुशासनात्मक कार्यवाही			जिला परिषद की जिला स्थापना समिति पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां आरोपित कर सकेगी।	
स्थानान्तरण		पंचायत समिति के भीतर पंचायत समिति की प्रशासन और संस्थापन स्थायी समिति के द्वारा	एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जिला परिषद की प्रशासन और संस्थापन स्थायी समिति के द्वारा	एक जिले से दूसरे जिले में पंचायती राज विभाग की सहमति से पैतृक विभाग के द्वारा

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(आज्ञा क्रमांक एफ.1(8) सामान्य/सान्यअवि/2010/52430 जयपुर दिनांक 2.10.2010 एवं राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के अनुसार)

गतिविधि	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	नोडल विभाग
संस्थाएं एवं स्टाफ का नियन्त्रण			जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक मय स्टॉफ जिला परिषद के अधीन। जिला परिवीक्षा अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, को भी जिला परिषद के अधीन किया गया है। हस्तान्तरित स्टॉफ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन रह कर उनके मार्गदर्शन में कार्य करेगा।	तकनीकी पर्यवेक्षण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का रहेगा।
अनुशासनात्मक कार्यवाही			जिला परिषद की जिला स्थापना समिति पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां आरोपित कर सकेगी।	
स्थानान्तरण		पंचायत समिति के भीतर पंचायत समिति की प्रशासन और संस्थापन स्थायी समिति के द्वारा	एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जिला परिषद की प्रशासन और संस्थापन स्थायी समिति के द्वारा	एक जिले से दूसरे जिले में पंचायती राज विभाग की सहमति से पैतृक विभाग के द्वारा



क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
1.	सहयोग योजना	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित।	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित।	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृति जारी।
2.	पालनहार योजना	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित।	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित।	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृति जारी।
3.	विधवा पुनर्विवाह योजना	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृति जारी।

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
		सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	
4.	अन्तर्जातीय विवाह	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृति जारी
5.	निःशक्त विवाह हेतु आर्थिक सहायता	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृति जारी

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
			स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	
6.	पेंशनधारी निःशक्तजनों को स्वालम्बन हेतु एकमुश्त सहायता	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृति जारी
7.	विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृति जारी

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
8.	आस्था कार्ड	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के माध्यम से स्वीकृति जारी
9.	गाडिया लुहार को भवन निर्माण हेतु सहायता	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के माध्यम से स्वीकृति जारी
10.	गाडिया लुहार को कच्चा माल क्रय हेतु सहायता	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के माध्यम से स्वीकृति जारी

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
		सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	
11.	वृद्धावस्था पेंशन योजना	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति हेतु सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर विकास अधिकारी को प्रस्तुत	विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृती जारी
12.	विधवा पेंशन योजना	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति हेतु सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर विकास अधिकारी को	विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृती जारी

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
			प्रस्तुत	
13.	निःशक्त पेंशन योजना	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति हेतु सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर विकास अधिकारी को प्रस्तुत	विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृती जारी
14.	पन्नाधाय योजना	दुर्घटना/मृत्यु होने पर आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त प्रकरणों को पंचायत समिति के माध्यम से जीवन बीमा निगम को अग्रेषित	
15.	अनुसूचित जाति छात्रावास		छात्रावास में प्रवेश एवं नियमित मॉनिटरिंग कार्य।	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के माध्यम से सम्बन्धित छात्रावास के संचालन के लिए राशि स्वीकृत करना।
16.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास			
17.	स्वच्छकार छात्रावास			
18.	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास			

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
19.	अनुदानित अनुसूचित जाति छात्रावास			
20.	अनुदानित अनुसूचित जनजाति छात्रावास			
21.	अनुदानित विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास			
22.	टी.ए.डी. क्षेत्र में संचालित छात्रावास			
23.	टी.ए.डी. क्षेत्र में संचालित अनुदानित छात्रावास			
24.	देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित छात्रावास			
25.	संयुक्त सहायता हेतु अनुदान (सामान्य क्षेत्र)	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंका सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के माध्यम से स्वीकृति जारी
26.	संयुक्त सहायता हेतु अनुदान (जनजाति क्षेत्र)			
27.	विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (सामान्य क्षेत्र)	पात्र आवेदकों से निर्धारित	प्राप्त आवेदनों की जांच	जिलाधिकारी द्वारा जिला

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
28.	विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (जनजातीय क्षेत्र)	फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	परिषद् के माध्यम से स्वीकृति जारी
29.	विकलांगों का चिन्हिकरण (सामान्य क्षेत्र)	निःशक्तजनों का डाटाबेस बनाना।	पंचायत समिति स्तर पर निःशक्तजनों के चिन्हिकरण शिविर का आयोजन करना।	जिला स्तर पर निःशक्तजनों के चिन्हिकरण हेतु मेगा शिविर का आयोजन करना। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति पर आयोजित होने वाले शिविरों का कलैण्डर बनाना, पर्यवेक्षण करना एवं राशि स्वीकृत करना।
30.	विकलांगों का चिन्हिकरण (जनजातीय क्षेत्र)			
31.	विकलांगों के विवाह परिचय सम्मेलन हेतु कैम्प (सामान्य क्षेत्र)	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के माध्यम से स्वीकृति जारी करना।
32.	विकलांगों के विवाह परिचय सम्मेलन हेतु कैम्प (जनजातीय क्षेत्र)			



क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
		समिति को अग्रेषित	से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	
33.	कोढ़ पीड़ित परिवारों/निःशक्त माता-पिता के अध्ययनरत बच्चों को विशेष विकलांग छात्रवृत्ति	पात्र आवेदकों से निर्धारित फार्म भरवाकर, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति को अग्रेषित	प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदनों को सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय से सम्बधित स्थाई समिति से अनुमोदित करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा सहित जिलाधिकारी को अग्रेषित	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के माध्यम से स्वीकृति जारी करना।
34.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम	ग्राम पंचायत स्तर पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में प्रचार-प्रसार करना।	पंचायत समिति स्तर पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में प्रचार-प्रसार करना।	जिलाधिकारी द्वारा दहेज सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों का निष्पादन करना एवं जिला परिषद के माध्यम से दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में प्रचार-प्रसार करना।
35.	डे-केयर सेन्टर		डे-केअर सेन्टर में प्रवेश एवं नियमित मॉनिटरिंग	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के माध्यम से

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
			कार्य।	सम्बन्धित डे-केअर सेंटर के संचालन के लिए राशि स्वीकृत करना एवं मॉनिटरिंग करना।
36.	नागरिक अधिकार संरक्षण (पी.सी. आर.) अनुसूचित जाति/जनजाति (सामान्य क्षेत्र)	ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिक अधिकार संरक्षण के बारे में प्रचार-प्रसार करना।	पंचायत समिति स्तर पर नागरिक अधिकार संरक्षण के बारे में प्रचार-प्रसार करना।	अधिनियम/संगत नियम के अन्तर्गत गठित समिति की अनुशंषा पर जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृति जारी करना।
37.	नागरिक अधिकार संरक्षण (पी.सी. आर.) अनुसूचित जाति/जनजाति (जनजातीय क्षेत्र)			
38.	सम्बल ग्राम योजना	योजनान्तर्गत पात्र ग्राम में आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार करना एवं पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद को प्रस्तुत करना।	ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन कर जिला परिषद को अनुशंषा करना। स्वीकृति उपरान्त नियमित मॉनिटरिंग करना।	जिला परिषद द्वारा स्वीकृति जारी करना। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त कार्य हेतु प्रस्ताव भिजवाना।
39.	चिरायु योजना	निराश्रित, लावारिस, बेसहारा वृद्धजनों का डाटाबेस तैयार करना।	पंचायत समिति स्तर पर वृद्धाश्रम की आवश्यकता का आंकलन करना, वृद्धाश्रम के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि का चिन्हिकरण करना एवं	जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के माध्यम से पंचायत समिति वाईज योग्य संस्थाओं का चयन कर वृद्धाश्रम के भवन निर्माण एवं संचालन हेतु राशि स्वीकृति बाबत प्रस्ताव

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
			जिला परिषद को प्रस्ताव भिजवाना।	राज्य सरकार को भिजवाना।
40.	नारी निकेतन	निराश्रित, लावारिस, बेसहारा, अत्याचार पीड़ित तथा अनैतिक कार्य में लिप्त महिलाओं का डाटाबेस तैयार करना एवं उन्हें योजना के बारे में बताना।	नारी निकेतन योजना का प्रचार-प्रसार करना।	जिले में निवासरत ऐसी महिलाओं को निकटतम नारी निकेतन में प्रवेश की व्यवस्था कराना।
41.	निःशक्तजनों हेतु खेलकूद कार्यक्रम	निःशक्त विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना।	पंचायत समिति स्तर पर निःशक्त विद्यार्थियों हेतु खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना।	जिले में निःशक्तजनों हेतु खेलकूद गतिविधियों का कलैण्डर बनाना। इस हेतु राशि स्वीकृत करना। पंचायत समितियों के विजेताओं के मध्य वार्षिक खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना।
42.	विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु देवनारायण योजना का क्रियान्वयन	देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना।	पंचायत समिति में संचालित गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना। आवश्यकतानुसार जिला परिषद को अनुशंसा	जिले में संचालित गतिविधियों के लिए

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
			करना।	
43.	आवासीय विद्यालय	विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी देकर प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करना।	क्षेत्र में स्थित आवासीय विद्यालय की मॉनिटरिंग।	जिले में स्थित आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना।
44.	निःशक्तजनों के लिए पोलियो करैक्शन कैम्प	पोलियोग्रस्त निःशक्तजनों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें जिला स्तर पर लगाए जाने वाले ऑपरेशन कैम्प की जानकारी देना।	क्षेत्र में स्थित पोलियोग्रस्त निःशक्तजनों को ऑपरेशन कैम्प की जानकारी देना एवं उन्हें कैम्प तक ले जाने की व्यवस्था करना।	जिला स्तर पर पोलियो ऑपरेशन कैम्प के आयोजन के लिए योग्य संस्था का चयन कर प्रस्ताव एवं कार्य योजना राज्य सरकार को राशि स्वीकृति हेतु भेजना। पोलियोग्रस्त निःशक्तजनों के लिए निःशुल्क भोजन, दवाईयाँ, फोलोअप कैम्प आदि की व्यवस्था करना।
45.	शिशु गृहों का संचालन	अनाथ, परित्यक्त, लावारिस, निराश्रित शिशुओं के पाए जाने पर उन्हें निकटतम शिशु गृह में प्रवेशित कराना।		शिशु गृह की मॉनिटरिंग करना।
46.	सम्प्रेक्षण गृह			
47.	किशोर गृह	अनाथ, परित्यक्त, लावारिस, निराश्रित बालक/बालिकाओं के पाए जाने पर उन्हें निकटतम किशोर गृह में प्रवेशित		जिले में संचालित किशोर गृह की मॉनिटरिंग करना।

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
		कराना।		
48.	महिला सदन	निराश्रित, लावारिस, बेसहारा, अत्याचार पीड़ित तथा अनैतिक कार्य में लिप्त महिलाओं का डाटाबेस तैयार करना एवं उन्हें योजना के बारे में बताना।	महिला सदन योजना का प्रचार-प्रसार करना।	जिले में निवासरत ऐसी महिलाओं को निकटतम नारी निकेतन में प्रवेश की व्यवस्था कराना।
49.	विमन्दिता मानसिक पीड़ित महिला गृहों का संचालन	मानसिक विमन्दिता महिलाओं एवं बच्चों की पहचान करना।	पंचायत समिति क्षेत्र में निवासरत मानसिक विमन्दिता महिलाओं एवं बच्चों की चिकित्सा एवं देखभाल हेतु उन्हें निकटतम विमन्दिता गृह में प्रवेश हेतु जिला परिषद के माध्यम से व्यवस्था कराना।	जिले में निवासरत मानसिक विमन्दिता महिलाओं/बच्चों की चिकित्सा एवं देखभाल हेतु उन्हें निकटतम विमन्दिता गृह में प्रवेश की व्यवस्था करना। प्रवेशित विमन्दिताओं की प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त करना।
50.	नशामुक्ति कार्यक्रम	अश्लील वस्तुओं के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों का प्रचार-प्रसार करना। व्यसनी व्यक्तियों को चिन्हित करना।	पंचायत समिति क्षेत्र में नशे के व्यसनी व्यक्तियों के लिए इस हेतु कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से विशेष शिविर आयोजन	नशामुक्ति कार्यक्रम में संलग्न संस्थाओं के माध्यम से पंचायत समिति स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन करना। इस हेतु आवश्यक

क्रम सख्या	योजना का नाम/कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही	ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही	जिला अधिकारी/जिला परिषद द्वारा कार्यवाही
			हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला परिषद को भिजवाना।	राशि के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर राशि स्वीकृत कराना।

# प्रारम्भिक (आयोजना) शिक्षा विभाग

(आज्ञा क्रमांक प.2(5)शिक्षा-1 / प्राशि / 2003 जयपुर दिनांक 2.10.2010 एवं राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के अनुसार)

गतिविधि	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	नोडल विभाग
संस्थाएं एवं स्टाफ का नियन्त्रण		पंचायत समिति स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के पर्यवेक्षण हेतु कार्यरत ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ समस्त स्टाफ, ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उसमें कार्यरत अध्यापक सम्बन्धित पंचायत समिति के अधीन कार्य करेंगे।	जिला स्तर पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ समस्त स्टाफ जिला परिषदों के अधीन कार्य करेंगे।  इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्बन्धित समस्त स्टाफ भी जिला परिषदों के अधीन रहेगा।	सम्पूर्ण राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा का नियन्त्रण निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के माध्यम से  हस्तान्तरित स्टाफ का तकनीकी पर्यवेक्षण पूर्ववत शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।

			ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्बन्धित स्टाफ तुरन्त प्रभाव से पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कार्यशील माने जावेंगे।	
		पंचायत समिति को हस्तान्तरित कर्मचारियों की उपस्थिति, छुट्टी और दौरे प्रशासन स्थायी समिति के सामान्य पर्यवेक्षण और मॉनिटरी में विकास अधिकारी मंजूर एवं नियन्त्रित करेंगे।	जिला परिषद को हस्तान्तरित कर्मचारियों की उपस्थिति, छुट्टी और दौरे प्रशासन स्थायी समिति के सामान्य पर्यवेक्षण और मानीटरी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूर एवं नियन्त्रित करेंगे।	
अनुशासनात्मक कार्यवाही			जिला परिषद की जिला स्थापना समिति पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गए	



			अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां आरोपित कर सकेगी।	
स्थानान्तरण		पंचायत समिति के भीतर पंचायत समिति की प्रशासन और संस्थापन स्थायी समिति के द्वारा	एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जिला परिषद की प्रशासन और संस्थापन स्थायी समिति के द्वारा	एक जिले से दूसरे जिले में पंचायती राज विभाग की सहमति से पैतृक विभाग के द्वारा
कार्य	नामांकन शिक्षकों की उपस्थिति मध्याह्न भोजन व्यवस्था	शालाओं का निरीक्षण निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था	शाला भवन रखरखाव अध्यापकों की भर्ती अनुशासनात्मक कार्यवाही	
	अभिभावकों की बैठकों द्वारा छात्र छात्राओं की अधिकतम उपस्थिति	पाठन सामग्री व्यवस्था अध्यापकों का समानीकरण सामान्य पर्यवेक्षण		

	सुनिश्चित करना			
	शाला परिसर विकास			
	शौचालय मूत्रालय में पानी का फोर्स पम्प उपलब्ध कराकर उपयोग में लाना			

# कृषि विभाग

(आज्ञा क्रमांक प.12(11)कृषि-1/2004/पार्ट-1 जयपुर दिनांक 2.10.2010  
एवं राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के अनुसार)

गतिविधि	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	नोडल विभाग
संस्थाएं एवं स्टाफ का नियन्त्रण	कृषि पर्यवेक्षक पंचायत एवं उत्पादन स्थायी समिति की बैठकों में उपस्थित रहेगा। ग्राम सचिवालय में दिनांक 5, 12, 20 व 27 को समस्या समाधान हेतु उपस्थित होगा।	सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक का प्रशासनिक नियन्त्रण पंचायत समिति को हस्तान्तरित	उप-निदेशक (कृषि विस्तार), सहायक निदेशक (कृषि विस्तार), मय स्टॉफ जिला परिषद के अधीन कार्य करेंगे।  समस्त कार्य पंचायती राज संस्थाओं के पूर्ण समन्वय से करेंगे।	तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग कृषि विभाग का रहेगा।
स्थानान्तरण		पंचायत समिति के भीतर पंचायत समिति की प्रशासन और संस्थापन स्थायी	एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जिला परिषद की प्रशासन और संस्थापन स्थायी समिति के द्वारा	एक जिले से दूसरे जिले में पंचायती राज विभाग की सहमति से

		समिति के द्वारा		पैतृक विभाग के द्वारा
अनुशासनात्मक कार्यवाही			जिला परिषद की जिला स्थापना समिति पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां आरोपित कर सकेगी।	
कृषि गतिविधियां				
	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	
	मेले	मेले	मेले	
	प्रदर्शन	प्रदर्शन		
	मिनिकिट वितरण			
	कृषि यन्त्र		कृषि यन्त्र	
	पौध संरक्षण उपकरण एवं फसल संरक्षण			
	जल संरक्षण व कुशलतम उपयोग हेतु जल बचत उपकरण			

	अनुदान पर कृषि आदानों का वितरण	अनुदान पर कृषि आदानों का वितरण	अनुदान पर कृषि आदानों का वितरण	
	जिप्सम वितरण	जिप्सम वितरण	जिप्सम वितरण	
	कृषि अभियान शिविर	कृषि अभियान शिविर	कृषि अभियान शिविर	
	कृषक भ्रमण	कृषक भ्रमण	कृषक भ्रमण	
	महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण	
	फसलों में कीट व्याधि महामारी का नियन्त्रण	फसलों में कीट व्याधि महामारी का नियन्त्रण	फसलों में कीट व्याधि महामारी का नियन्त्रण	
	नवाचार कार्यक्रम	नवाचार कार्यक्रम	नवाचार कार्यक्रम	
	मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम	मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम	मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम	
	सन्तुलित व समन्वित उर्वरक प्रबन्धन	सन्तुलित व समन्वित उर्वरक प्रबन्धन	सन्तुलित व समन्वित उर्वरक प्रबन्धन	
	जैविक खेती प्रोत्साहन	जैविक खेती प्रोत्साहन	जैविक खेती प्रोत्साहन	